



Madhya Pradesh Power Generating Company Limited

(Govt of M.P. Undertaking)

CIN-U40109MP2001SGC014882/GST No: 23AADCM4472A1ZZ

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (O&M)

Madhikheda Hydel Power Station, MPPGCL, Shivpuri 473880 (MP)

Website: www.mppgcl.mp.gov.in

Email: semhps@gmail.com

Tel: +91 9425318160

No.597-1500/ITI/1083

Dated 02/02/2023

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत आई.टी.आई. अप्रेंटिस के आवेदन हेतु विस्तृत विज्ञापन

म. प्र. राज्य के शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं/व्यवसायों (ट्रेड) में एक वर्षीय (एक वर्ष) अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं:-

आई.टी.आई. अप्रेंटिस

क्र.	व्यवसाय	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	इ.डब्ल्यू.एस.	दिव्यांग	कुल योग
1	विद्युतकार	01					01
2	वैल्डर		01					01
3	फिटर			01			01
4	केन आपरेटर	01						01
कुल		02	01	01	-	-	-	04

नोट:-

- उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए है। ऑन-लाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 28.02.2023 है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण परमान. उच्च न्यायालय म.प्र. के निर्णयानुसार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- इस वर्ष में समय-समय पर होने वाली रिक्तियों को भी इस विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों से भरा जा सकेगा।

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्तें:-

01. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता- शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में।

(अ) आई.टी.आई. अप्रेंटिस- शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से (एस.सी.व्ही.टी./एन.सी.व्ही.टी.) आई.टी.आई. उत्तीर्ण।

02. पात्रता-

(अ) उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इस से पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत न हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो। इस संदर्भ में उम्मीदवार को रूप्ये 100 के स्टेम्प पेपर पर दिये गये प्रारूप में घोषणा पत्र संलग्न करना होगा।

(ब) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय में कुल प्राप्तांकों (सी.जी.पी.ए.) की प्रावीण्य सूची (मॅरिटलिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

03. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.जन.कं.लि. द्वारा किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं दी जावेगी एवं इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
04. ऑन-लाइन आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
05. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि मडिखेडा ग्राम, सतनबाडा-नरवर रोड पर, सतनबाडा से 15 कि.मी. दूर स्थित है। सतनबाडा, शिवपुरी-ग्वालियर राजमार्ग क्रमांक-3 पर शिवपुरी से लगभग 17 कि.मी. दूर स्थित है। शिवपुरी मुख्यालय से मडि.खेडा जलविद्युत गृह की दूरी 32 कि.मी. है।
06. आवेदक को भारत सरकार के अप्रेंटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशा निर्देश हेतु आवेदक समय-समय पर अपनाई-मेलआई. डी. तथा कम्पनी की वेबसाईट <http://mppgcl.mp.gov.in> भी देखते रहे।
07. वरीयता प्राप्त आवेदकों को आमंत्रण (ऑफर लेटर) अप्रेंटिसशिप पोर्टल <https://www.apprenticeshipindia.gov.in/> पर उनके अप्रेंटिस प्रोफाइल पर भेजा जावेगा, एवं किसी भी तरह का पत्राचार उनके ई-मेल आई.डी पर ही किया जावेगा। अतः आवेदको से अनुरोध है कि वे अपना प्रोफाइल लगातार देखते रहें तथा अपनाई-मेलआई. डी. आवेदन करने से पहले बना ले जो कम से कम एक साल के लिये वैध हो।
08. अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी./विकलांग के लिए आरक्षण अप्रेंटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।
09. उचित कारण मिलने पर किसी भी प्रशिक्षु का चयन रद्द करने का अधिकार मडिखेडा जल विद्युतगृह (मप्रपाजनकंलि) शिवपुरी अपने पास सुरक्षित रखती है।
10. आवेदक को मध्य प्रदेश का मूलनिवासी होना आवश्यक रहेगा। समान प्राप्तांक होने पर जिन आवेदनकर्ताओं द्वारा जिला शिवपुरी स्थित शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संसाधनों से आई.टी.आई उत्तीर्ण किया होगा उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी। यदि समान प्राप्तांक वाले दोनों उम्मीदवार जिला शिवपुरी छोड़कर अन्य कहीं से उत्तीर्ण होने की स्थिति में अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।
11. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम 2 लाख रुपये का दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
12. चयनित उम्मीदवारों को शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमापॉलिसी, चिकित्साप्रमाण-पत्र एवं आधारकार्ड की फोटोप्रति, **500 रुपये के स्टाम्प पेपर** पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराये जाना आवश्यक होगा। चयनित उम्मीदवार को मप्रपाजनकंलि के साथ अप्रेंटिस ट्रेनिंग हेतु अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
13. आवेदनसे सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाईट <http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html> पर उपलब्ध है।
14. आरक्षण एवं आयु में छूट:-
- i. चयनप्रक्रियामें अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. तथादिव्यांगआरक्षणनियम (संशोधित) 2015 एवंराज्य शासन के नियमानुसाररहेगा। वर्तमान में मडिखेडा जल विद्युत गृह मडिखेडा जिला शिवपुरी में आई.टी.आई अप्रेंटिस भर्ती 2022 में विभिन्न व्यवसाय हेतु पदों के आरक्षण संबंधी जानकारी विज्ञापन के प्रथम पृष्ठ पर दी गई है। किन्ही कारणों से किसी पद पर उस संवर्ग का प्रतियोगी न मिलने पर वह पद अन्य संवर्ग द्वारा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-07/41/2021/आ.प्र./एफ भोपाल दिनांक 06 जनवरी 2022 में उल्लेखित राज्य शासन द्वारा लागू किया गया मॉडल रोस्टर (स्वीकृत पदों की संख्या 08 या उससे

कम हेतु) के अनुसार किया जावेगा। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल मंत्रालय के आदेश क्रमांक 479/221/2022 तैरह भोपाल दिनांक 17 जनवरी 2022 का भी अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त आदेश किसी भी संवर्ग में पद रिक्त होने पर उन्हें प्रतिस्थापन (Replacement) प्रक्रिया से चकानुसार द्वारा (By Rotation) भरे जाने के संदर्भ में है।

- ii. रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों/श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुर्नरीक्षित हो सकती है।
- iii. सभी वर्गों में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि दिनांक 01.02.2023 के आधार पर की जावेगी।
- iv. सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनु.जाति/अजजा/अ.पि.वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांगको 10 वर्ष की छूट रहेगी।
- v. शिक्षता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।

15. चयन प्रक्रिया :-

- i. आर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छंटाई की जावेगी। तत्पश्चात्, मडीखेडा जल विधुतगुह (मप्रपाजनकॉलि) शिवपुरी द्वारा प्राप्त हुए आवेदनो मे आई.टी.आई. अप्रेंटिसशिप हेतु आई.टी.आई में प्राप्त सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) अंकों के प्रतिशत के आधार पर योग्यताक्रम (मेरिट लिस्ट) में चयन किया जावेगा। समान प्राप्तांक होने पर जिन आवेदनकर्ताओ द्वारा जिला शिवपुरी स्थित शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संसाथान से आई.टी.आई उत्तीर्ण किया होना उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। यदि समान प्राप्तांक होने पर समान प्राप्तांक वाले दोनो उम्मीदवार जिला शिवपुरी छोडकर अन्य कहीं से उत्तीर्ण हाने की स्थिति में अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंगलिस्ट से चयन किया जायेगा।
- ii. उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है।
- iii. निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

16. स्टाईपेण्ड-

कौशल विकास एवं उधमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाईपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है:-

क्र.	आर्हता	मसिक स्टाईपेण्ड (रु० में)
1	एक वर्षीय आई.टी.आई अप्रेंटिस	7700/-

नोट:- इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।

17. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानक:-

- i. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि मध्य प्रदेश के किसी जिला चिकित्सालय प्रमुख द्वारा जारी किया गया है, के आधार पर ही किया जावेगा।
- ii. दिव्यांग उम्मीदवारों को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 40% अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोडकर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।

18. आवेदन कैसे करें:-

आई.टी.आई उत्तीर्ण उम्मीदवार शासन की वेबसाइट <https://www.apprenticeshipindia.gov.in/> के माध्यम से दिनांक 28.02.2023 की मध्य रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाईन पद्धति से भरे जा सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे।

- आई.टी.आई उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्रक्रिया—आवेदन से पूर्व उम्मीदवार का अप्रेंटिसशिप पोर्टल <https://www.apprenticeshipindia.gov.in/> पर पंजीकरण अनिवार्य है, यदि उम्मीदवार ने पंजीकरण नहीं कराया है तो निम्नांकित प्रक्रिया अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं:—
- सर्वप्रथम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की वेबसाइट <https://www.apprenticeshipindia.gov.in/> पर Toolbar में Apprentices→ Candidate Registration पर Click करें।
 - आपको <http://apprenticeshipindia.org/register/candidate> Link दिखाई देगी उस पर Click करने से नया पेज खुल जायेगा।
 - Toolbar में Register बटन पर Click करें। "Register as Candidate" विकल्प का चयन करें।
 - व्यक्तिगत विवरण (Personal Details) Section में आधार नम्बर, वर्ग (General/OBC/SC/ST) नाम, पिता/माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग की प्रविष्टि करें।
 - Contact Details section में अपना पूरा पता, मोबाइल नम्बर एवं E-mail ID व पासवर्ड प्रविष्टि करें। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन करने के लिये इसी E-mail ID एवं पासवर्ड का उपयोग करें।
 - Qualification section में अपनी तकनीकी (Technical) व शैक्षणिक (Academic) योग्यता की जानकारी प्रविष्टि कर संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड करें।
 - Preference section में शिक्षता प्रशिक्षण के लिये आप अपने sector/व्यवसाय (Trade) की प्राथमिकता का चयन करें।
 - चौथे चरण (Fourth Stage) में अपना फोटो, जन्मतिथि प्रमाण-पत्र व स्केन्ड हस्ताक्षर अपलोड करें व Continue पर Click करें।
 - अन्तिम पेज पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी का प्रिव्यू प्राप्त होगा। Edit बटन पर Click करके जानकारी में परिवर्तन किया जा सकता है सभी जानकारियां सही होने पर Confirm बटन पर Click करके पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण करें।
 - Candidate Registration की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त आपके द्वारा Contact Detail में दिये गये E-mail ID एवं पासवर्ड से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
 - उम्मीदवार पंजीकरण के उपरांत "Establishment Search" में जा कर मड़ीखेड़ा जल विद्युतगुह (मप्रपाजनकॉलि) शिवपुरी का विकल्प चुन कर संस्थान के विज्ञापन में दर्शाई गई रिक्तियों में योग्यता अनुसार आवेदन करें।

19 महत्त्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें:—

- उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि, शिक्षता प्रशिक्षण के लिये योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही हैं।
- यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित आर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते हैं। अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

- iii. अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/ई.डब्लु.एस./दिव्यांग उम्मीदवार कृप्या अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।
- iv. यदि उम्मीदवार अपने ऑन-लाइन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो Edit my profile में जा कर परिवर्तन कर सकते हैं।
- v. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षता अधिनियम 1961(यथासंशोधित) के प्रावधानों के आधार पर किया जावेगा।
- vi. उम्मीदवार चयन हेतु मझीखेड़ा जल विद्युतगृह (मप्रपाजनकंलि) शिवपुरी द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- vii. शिक्षता अवधि में अभ्यर्थियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित राष्ट्रीय त्यौहारों पर अवकाश रहेगा। 1.गणतंत्र दिवस 2.होली 3. ईद उल-फितर 4.स्वतंत्रता दिवस 5.गोंधी जयंती 6.दीपावली 7.गुरुनानक जयंती 8.किसमस-डे 9.विश्वकर्मा जयंती
- viii. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षति पूर्ति नियम 1923 लागू होगा।
- ix. मझीखेड़ा जल विद्युतगृह (मप्रपाजनकंलि) शिवपुरी को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढ़ाने का अधिकार होगा।
- x. चयन न होने की स्थिति, में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
- xi. उम्मीदवार ध्यान रखें कि, शिक्षता अधिनियम 1961 की कडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत मझीखेड़ा जल विद्युतगृह (मप्रपाजनकंलि) शिवपुरी किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं दी जावेगी एवं इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- xii. शिक्षता अधिनियम 1961 की कडिका 2 (1) एवं (2) के अनुसार शिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जावेगा।

Phoreka

अधिक्षण अभियंता(संचा./सधा.)

मझीखेड़ा जल विद्युत गृह

016 म.प्र.पॉ.ज.क.लि. शिवपुरी

3/11/23